



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 6-2021] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021 (MAGHA 20, 1942 SAKA)

## PART-I

### Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 जनवरी, 2021

संख्या 09/94/2020-3 बी0 एण्ड आर0 (डब्ल्यू).- हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर उद्ग्रहण) अधिनियम, 1996 (1996 का 9), की धारा 2 के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, रेवाड़ी जिले में जीवड़ा-गोदाना सड़क (हेली मंडी- पालावास सड़क) के 9.500 किलोमीटर पर नये पथकर बिन्दु (टी पी-54) को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए पथकर सुविधा के रूप में अधिसूचित करते हैं ;

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पथकर संग्रहण बिंदु अर्थात् टी पी-54 पर उक्त पथकर सुविधा से गुजरने वाले तथा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 में यथावर्णित यांत्रिक यानों की किस्म के लिए, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में यथा वर्णित पथकर की दरें अवधारित करते हैं, अर्थात्:-

#### अनुसूची

| क्रम संख्या | यांत्रिक यानों की किस्म  | प्रति ट्रिप प्रभारित की जाने वाली पथकर की दरें  |
|-------------|--|---|
| 1           | 2  | 3   |
| 1.          | ट्रक (सामान से लदे हुए अथवा बिना लदे) कैंटर्ज/मल्टी एक्सल वाहन/डोजर्स और अर्थ मूवर्ज इत्यादि | वापसी यात्रा सहित ₹ 200/- प्रति ट्रिप   |
| 2.          | बसें/मिनी बसें जिनके पास स्टेज कैरिज परमिट है  | (i) वापसी यात्रा सहित एकल ट्रिप हेतु ₹ 200/-प्रति ट्रिप<br>(ii) दैनिक पास के लिए ₹ 300/-<br>(iii) मासिक पास के लिए ₹ 6000/- |

| क्रम संख्या | यांत्रिक यानों की किस्म                                    | प्रति ट्रिप प्रभारित की जाने वाली पथकर की दरें |
|-------------|--|--|
| 3.          | बसें/मिनी बसें जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट है        | वापसी यात्रा सहित ₹ 200/-प्रति ट्रिप           |
| 4.          | मैक्सी कैबज  | वापसी यात्रा सहित ₹ 20/-प्रति ट्रिप            |
| 5.          | हल्के वाणिज्यिक माल वाहन जैसे महिन्द्रा तथा टाटा पिकअप वैन | वापसी यात्रा सहित ₹ 50/-प्रति ट्रिप            |
| 6.          | 10 टायरों से अधिक वाले वाहन                                | वापसी यात्रा सहित ₹ 300/-प्रति ट्रिप           |

**टिप्पण.—1.** उपरोक्त पथकर की दरों में उसी दिन उसी पथकर बिन्दु से गुजरना एकल वापसी ट्रिप में शामिल है। जब उसी वाहन को उसी दिन उसी दिशा में एक से अधिक बार इस पथकर बिन्दु से गुजरना है, तो उपयोगकर्ता को, दैनिक तथा मासिक पास वाले वाहनों को छोड़कर अतिरिक्त ट्रिप के लिए उक्त पथकर दरों के अनुसार पुनः पथकर देना होगा। तथापि, यदि उपयोगकर्ता उसी दिन किसी अन्य पथकर सुविधा के किसी अन्य पथकर बिन्दु से गुजरता है, तो उपयोगकर्ता को उस पथकर बिन्दु पर यथा लागू दरों के अनुसार भी पथकर देना होगा। यदि, सम्बन्धित सड़क पर पथकर बिन्दु में एक से अधिक पथकर बिन्दु सम्मिलित हैं, तो पथकर केवल एक बिन्दु पर एक वाहन से संगृहीत किया जाएगा।

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग, हरियाणा को उपरोक्त वर्णित अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी दरों पर तथा ऐसे यांत्रिक यानों पर, 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त पथकर बिन्दु पर उक्त पथकर सुविधा से पथकर की मांग करने, संग्रहण करने तथा रखने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त पथकर सुविधाओं से गुजरने वाले निम्नलिखित यांत्रिक यानों को पथकर के भुगतान से छूट देते हैं, अर्थात्:-

1. रक्षा वाहन;
2. सभी राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के गैर वाणिज्यिक वाहन;
3. पुलिस वाहन;
4. अग्निशमन वाहन;
5. एम्बुलेंस;
6. अन्तिम संस्कार वैन।

**टिप्पण.—2.** मैक्सी कैब को छोड़कर, दो पहिया वाहनों, जीपों, कारों, कृषि प्रयोजनों के लिए ट्रैक्टरों तथा ट्राली सहित ट्रैक्टरों पर कोई पथकर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

आलोक निगम,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग।

## HARYANA GOVERNMENT

### PUBLIC WORKS (BUILDING AND ROADS) DEPARTMENT

#### Notification

The 29th January, 2021

**No. 09/94/2020-3B&R(W).**— In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the Haryana Mechanical Vehicles (Levy of Tolls) Act, 1996 (9 of 1996), the Governor of Haryana hereby notifies the Jiwara-Godana Road (Haily Mandi Palawas Road) at Km. 9.500 in Rewari District (Toll Point-54), to be toll facility for the purpose of said Act;

Further, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the said Act, the Governor of Haryana hereby determines the rates of toll as mentioned under column 3 of the Schedule given below, for type of mechanical

vehicles as given under column 2 of the said Schedule as passing over the said toll facilities at toll collection point i.e. Toll Point-54, namely:-

**SCHEDULE**

| Serial number | Type of Mechanical Vehicles  | Rate of toll to be charged per trip  |
|---------------|--|--|
| 1             | 2  | 3  |
| 1.            | Trucks(laden with goods or unladen) canthers/ multi axled vehicles/ dozers and earth movers etc. | ₹ 200/- per trip including return journey  |
| 2.            | Buses/ mini buses with Stage carriage permits  | (i) ₹ 200/- per trip for single trip including return journey;<br>(ii) ₹ 300/- for daily pass;<br>(iii) ₹ 6000/- for monthly pass. |
| 3.            | Buses/ mini buses with contract carriage permits.  | ₹ 200/- per trip including return journey.   |
| 4.            | Maxi Cabs  | ₹ 20/- per trip including return journey.  |
| 5.            | Light commercial goods vehicles like Mahindra and Tata pick up Vans.                             | ₹ 50/- per trip including return journey.  |
| 6.            | Vehicles having more than 10 tyres   | ₹ 300/- per trip including return journey.   |

**Note 1.-** The above toll rates include single return trip on the same day through the same toll point. When the same vehicle has to cross this toll point more than once in the same direction on the same day, then the user shall have to pay toll again for the additional trip at the same toll rates except for the vehicles having daily and monthly passes. However, if the user also crosses any other toll point of any other toll facility on the same day, the user shall have to pay toll at that toll point also as applicable. In case, a toll point covers more than one toll collection point on the relevant road then the toll shall be collected from one vehicle at one point only.

Further, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, the Governor of Haryana hereby authorizes, Haryana Public Works (Building and Roads) Department to demand, collect and retain toll from the said toll facility at above said toll point for the period ending the 31<sup>st</sup> March, 2022, at such rates and on such mechanical vehicles, as specified in Schedule mentioned above.

Further, in exercise of powers conferred by section 13 of the said Act, the Governor of Haryana hereby exempts the following mechanical vehicles from the payment of toll over the said toll facility, namely :-

1. Defence vehicles;
2. Non commercial vehicles of all State Government and Government of India;
3. Police Vehicles;
4. Fire Fighting vehicles;
5. Ambulances;
6. Funeral vans.

**Note 2.-** No toll shall be levied on two wheelers, jeeps other than maxi cabs, cars, tractors and tractor with trolley for agricultural purposes.

ALOK NIGAM,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Public Works (Building and Roads) Department.